

2023-24 के दौरान, रिजर्व बैंक ने अपने संचार में पारदर्शिता, स्पष्टता और समयबद्धता बनाए रखी। भारत की जी20 अध्यक्षता सफलतापूर्वक संपन्न हुई। रिजर्व बैंक ने सरकार की नकदी प्रबंधन प्रणाली में और अधिक दक्षता लाने और विदेशी मुद्रा भंडार के सुदृढ़ प्रबंधन की दिशा में भी प्रयास जारी रखा। नीतिगत निविष्टि को मजबूत करने के लिए आर्थिक नीति विश्लेषण और अनुसंधान और सूचना प्रबंधन प्रणालियों को और अधिक परिष्कृत किया गया। स्थिर और सक्रिय वित्तीय क्षेत्र के लिए आवश्यक कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई विधायी पहल की गईं और कई संशोधन किए गए।

X.1 2023-24 के दौरान, प्रासंगिकता, पारदर्शिता, स्पष्टता, व्यापकता और समयबद्धता के सिद्धांतों पर आधारित रिजर्व बैंक की संचार नीति, नीतिगत कार्यों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने पर केंद्रित रही। रिजर्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ आर्थिक और वित्तीय संबंधों को मजबूत किया और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया। एकीकृत मंच पर सभी हितधारकों को क्रमिक रूप से शामिल करके एक कुशल सरकारी नकदी प्रबंधन प्रणाली के लिए कार्य शुरू किए गए। विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन के विवेकपूर्ण सिद्धांतों (जैसे, सुरक्षा, चलनिधि और प्रतिलाभ) का पालन किया गया। नीति निर्धारण के लिए प्रभावी और सामयिक विश्लेषणात्मक इनपुट प्रदान करने के लिए समसामयिक समष्टि आर्थिक और वित्तीय मुद्दों की एक विस्तृत शृंखला पर शोध अध्ययन किए गए। नेक्स्ट जनरेशन डेटा वेयरहाउस [अर्थात, केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस)] के विकास के माध्यम से सूचना प्रबंधन प्रणाली को और मजबूत किया गया। इस वर्ष वित्तीय क्षेत्र से संबंधित कई विधानों में संशोधन हुए या नए विधान प्रस्तुत किए गए।

X.2 इस पृष्ठभूमि में, शेष अध्याय को आठ खंडों में विभाजित किया गया है। खंड 2 में रिजर्व बैंक की संचार नीति

और प्रक्रियाओं के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलों का उल्लेख है। खंड 3 में रिजर्व बैंक के अंतरराष्ट्रीय संबंधों सहित अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ संवाद पर चर्चा की गई है। खंड 4 सरकारों और बैंकों के लिए बैंकर के रूप में रिजर्व बैंक की गतिविधियों से संबंधित है। खंड 5 विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन के संचालन का विश्लेषण करता है। खंड 6 सांविधिक रिपोर्ट और अग्रणी अनुसंधान प्रकाशन सहित अनुसंधान गतिविधियों पर केन्द्रित है। खंड 7 सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम) की गतिविधियों को रेखांकित करता है और खंड 8 विधि विभाग की गतिविधियों को प्रस्तुत करता है। अंतिम खंड में निष्कर्ष दिया गया है।

2. संचार प्रक्रियाएं

X.3 केंद्रीय बैंक के रणनीति साधनों में संचार की केंद्रीयता का लंबे भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक अस्थिरता के माहौल में समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में महत्व बढ़ने लगा है। वास्तविक परिणामों को आकार देने में अपेक्षाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, केंद्रीय बैंक द्वारा प्रभावी संचार इसके नीतिगत कार्यों की प्रभावकारिता को मजबूत कर सकता है और मूल्य और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा दे सकता है। मुख्यधारा की मीडिया, वेबसाइटों और भाषणों के अलावा, केंद्रीय बैंकों ने सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया और

जनता के साथ सीधे जुड़ाव के माध्यम से नवोन्मेषी तरीकों का उपयोग जारी रखा। वैश्विक स्तर पर, जहां वैश्विक मुद्रास्फीति के उंचे स्तर के कारण 2023-24 के दौरान, मौद्रिक नीति से संबंधित संचार मुख्यधारा की मीडिया की सुर्खियों में रहा, वहीं चुनिंदा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के पर्यवेक्षी सरोकारों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से एकबारगी घटनाओं के प्रसार को रोकने के लिए त्वरित और समय पर संचार की आवश्यकता को रेखांकित किया। सोशल मीडिया के युग में सक्रिय दो-तरफा संचार चैनल के माध्यम से गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए केंद्रीय बैंकों के लिए कड़ी निगरानी का महत्व बढ़ गया है।

X.4 वर्ष के दौरान, वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर रिज़र्व बैंक के संरचित संचार के साथ-साथ शीर्ष प्रबंधन के भाषणों व साक्षात्कारों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और अनौपचारिक मीडिया संवाद तथा मीडिया कार्यशालाओं के माध्यम से मौखिक संचार भी जोड़ा गया। रिज़र्व बैंक की संचार रणनीति में विनियमित संस्थाओं और वित्तीय बाजारों के प्रभुत्व वाले विशेष वर्ग के साथ-साथ अधिक विविध प्रकार के वर्ग शामिल हैं, जो सीधे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं। गैर-तकनीकी और समझने में आसान संचार ने न केवल इसे अधिक प्रभावी बना दिया है, बल्कि सार्वजनिक विश्वास बनाने में भी मदद की है और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में सहयोग किया है।

X.5 रिज़र्व बैंक ने एक पूर्ण-सेवा केंद्रीय बैंक के रूप में अपनी भूमिका में, 'आरबीआई कहता है' और 'आरबीआई सेज़' बैनर के तहत 360-डिग्री जन जागरूकता अभियान (पीएसी) भी चलाया। प्रिंट, डिजिटल, टेलीविजन (टीवी), शॉर्ट-मैसेजिंग-सर्विस (एसएमएस), आउट-ऑफ-होम (ओओएच), सोशल मीडिया, खेल कार्यक्रम और अन्य उच्च-प्रभाव वाले कार्यक्रमों के माध्यम से दर्शाए गए इन अभियानों का उद्देश्य रिज़र्व बैंक की

नई पहलों के बारे में जागरूकता फैलाना, धोखाधड़ी करने वाले लोगों/योजनाओं के प्रति लोगों को सचेत करना और वित्तीय साक्षरता में सुधार करना है। 'आरबीआई कहता है...जानकार बनिए, सतर्क रहिए' (आरबीआई सेज़...बी अवेयर, बी एलर्ट) की व्यापक थीम के तहत चलाए गए अभियानों का उद्देश्य ग्राहकों को सूदखोर प्रथाओं और अपंजीकृत लोगों से बचाने के साथ-साथ उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। ये अभियान 14 विभिन्न भाषाओं में हैं और समाज के सभी वर्गों को लक्षित करते हैं।

2023-24 के लिए कार्यसूची

X.6 विभाग ने 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- रिज़र्व बैंक के जन जागरूकता अभियानों के प्रभाव मूल्यांकन को पूरा किया जाना (उत्कर्ष 2.0) [पैराग्राफ X.7];
- सभी हितधारकों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम पुनः डिज़ाइन की गई वेबसाइट का आरंभ (उत्कर्ष 2.0) [पैराग्राफ X.7]; और
- कोलकाता में 'दी आरबीआई म्यूजियम' के दूसरे चरण को पूरा करना (उत्कर्ष 2.0) [पैराग्राफ X.8]।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.7 रिज़र्व बैंक ने मई 2023 में जन जागरूकता अभियानों का प्रभाव मूल्यांकन विश्लेषण पूरा किया। इस मूल्यांकन से मिले अनुभव का उपयोग जन जागरूकता अभियानों की रणनीति को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। रिज़र्व बैंक की वेबसाइट को अधिक व्यवस्थित और उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस उपलब्ध कराने के लिए नवीकृत किया गया। रिज़र्व बैंक की नई वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन को फिर से डिज़ाइन करने और विकसित करने का कार्य पूरा हो चुका है

और 05 अप्रैल 2024 को सभी हितधारकों के लिए इसकी शुरुआत की गई है।

X.8 रिज़र्व बैंक की भूमिका और कार्यों को दर्शाने वाले 'दी आरबीआई म्यूजियम' के दूसरे चरण की स्थापना कोलकाता में पूरी हो चुकी है। 12 दिसंबर 2023 को आरबीआई के उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव द्वारा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया और इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। 'दी आरबीआई म्यूजियम' की नवोन्मेषी प्रदर्शनियों में इंटरैक्टिव टूल की एक विस्तृत शृंखला शामिल है। संग्रहालय मुद्रा की अवधारणा, उसके विकास और अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, जनता के मुद्रा व्यवहार और समाज में स्वर्ण के निरंतर बढ़ते महत्व को एक इंटरैक्टिव अंदाज में स्पष्ट करता है (बॉक्स X.1)।

31 मार्च 2024 तक, संग्रहालय की स्थापना के बाद से 35,270 से अधिक आगंतुकों ने इसे भेंट दी।

प्रमुख गतिविधियां

X.9 2023-24 के दौरान, संचार विभाग (डीओसी) ने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 12 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में टीवी, प्रिंट, रेडियो, डिजिटल, ओओएच, एसएमएस और सिनेमा जैसे विभिन्न मीडिया का उपयोग करके प्रसंगानुसार संचार का प्रसार किया (सारणी X.1)।

X.10 इन विषय आधारित प्रसंगानुकूल अभियानों के अलावा, रिज़र्व बैंक ने जनता के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल), कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी), एशियाई खेलों और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट

बॉक्स X.1

केंद्रीय बैंक संग्रहालय

कोई भी संग्रहालय एक प्रकार से ज्ञान का खजाना होता है। वह देश/संगठन की संस्कृति और इतिहास का जतन करता है और संचार के एक महत्वपूर्ण माध्यम की भूमिका निभाता है। केंद्रीय बैंकों के संग्रहालयों का उद्देश्य लोगों तक उनकी भूमिका और उनके कार्य की जानकारी देना होता है। इस महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए कई केंद्रीय बैंकों ने इतिहास; विकास एवं कार्य; राष्ट्र द्वारा उपयोग की जाने वाली मुद्रा; तथा जन जागरूकता और वित्तीय साक्षरता की दिशा में किए गए उनके प्रयासों को प्रदर्शित करने के लिए अपने स्वयं के संग्रहालय विकसित किए हैं। इनमें बैंको सेंट्रल डो ब्राज़िल (बैंको सेंट्रल म्यूजियम), बैंक ऑफ इंग्लैंड (बैंक ऑफ इंग्लैंड म्यूजियम), बैंक ऑफ इटली (मनी म्यूजियम), बैंक ऑफ जापान (करेंसी म्यूजियम), बैंक ऑफ रशिया (दी बैंक ऑफ रशिया म्यूजियम), ड्यूश बंड्सबैंक (मनी म्यूजियम), फेडरल रिज़र्व (मनी म्यूजियम), मॉनिटरी एथोरिटी ऑफ सिंगापुर (एमएस) [एमएस गैलरी], और रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (दी रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया म्यूजियम) शामिल हैं। ये संग्रहालय मुद्राओं, सिक्कों और अन्य मौद्रिक साधनों, केंद्रीय बैंक के इतिहास और उसके कार्यों, धन के बारे में ज्ञान और मुद्रा के विकास को दर्शाते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के तीन संग्रहालय हैं, - (i) कोलकाता में दी आरबीआई म्यूजियम; (ii) मुंबई में मौद्रिक संग्रहालय; और (iii) पुणे में भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार। मुंबई के संग्रहालय में मुख्य रूप से विभिन्न कालखंडों के बैंक नोट और सिक्कों का संग्रह प्रदर्शित किया गया है तथा पुणे का

संग्रहालय बीते वर्षों में रिज़र्व बैंक की यात्रा से संबंधित दस्तावेजों का समृद्ध संग्रह प्रदर्शित करता है।

कोलकाता में स्थित 'दी आरबीआई म्यूजियम' रिज़र्व बैंक का पहला ऐसा संग्रहालय है जिसमें कलाकृतियाँ और मुद्रा, भारत में केंद्रीय बैंकिंग का उद्भव, रिज़र्व बैंक और उसके कार्य, वित्तीय साक्षरता और सार्वजनिक जागरूकता संदेशों का संपूर्ण प्रदर्शन है। 'दी आरबीआई म्यूजियम' का पहला चरण मार्च 2019 में जनता के लिए खोला गया जिसमें मुद्रा, स्वर्ण और रिज़र्व बैंक की उत्पत्ति के रोचक किस्सों को प्रदर्शित किया गया है। संग्रहालय में एक इंटरैक्टिव गेमिंग ज़ोन भी है जहां युवा आगंतुक वित्त संबंधी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 'दी आरबीआई म्यूजियम' के दूसरे चरण में 75 अभिनव प्रदर्शनियों के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न कार्यों को दर्शाया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फिलपबुक, इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक पैनल, रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान (आरएफआईडी) सेंसर आधारित प्रदर्शन, भित्ति चित्र, इंटरैक्टिव गेम, होलोग्राफिक डिस्प्ले, डियोरामा और कलाकृतियाँ शामिल हैं। यह संग्रहालय अपने संदेश और जानकारी को जनता तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर उपयोग करता है। फेसबुक पेज - therbimuseum और आरबीआई के इंस्टाग्राम पेज - @reservebankofindia पर इसकी बहुत सक्रिय उपस्थिति है।

स्रोत: आरबीआई और केंद्रीय बैंकों की वेबसाइटें।

सारणी X.1: आवश्यकता आधारित अभियान: 2023-24

अभियान का विवरण	अवधि
1	2
1. नोटों का विनियम	अप्रैल-जून 2023
2. रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस)	जून-जुलाई 2023 सितंबर-अक्टूबर 2023 नवंबर 2023 - जनवरी 2024
3. खुदरा प्रत्यक्ष योजना	जुलाई-अगस्त 2023
4. विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म	सितंबर-नवंबर 2023
5. डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म	अक्टूबर-दिसंबर 2023
6. अकाउंट एग्रीगेटर	अक्टूबर-दिसंबर 2023
7. विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म	दिसंबर 2023 - जनवरी 2024
8. सिक्कों से संबंधित गलत सूचना	दिसंबर 2023 - जनवरी 2024
9. केंद्रीय बैंकिंग डिजिटल करेंसी	दिसंबर 2023 - फरवरी 2024
10. डिजिटल भुगतान-यूपीआई या कार्ड, धोखाधड़ी को कहे अलविदा	जनवरी 2024
11. वित्तीय साक्षरता समाह	फरवरी 2024
12. सीईपीडी एसएमएस अभियान	अप्रैल-अगस्त 2023 दिसंबर 2023 फरवरी 2024
13. डिजिटल भुगतान जागरूकता समाह	मार्च 2024
14. खुदरा प्रत्यक्ष योजना	मार्च 2024

यूपीआई: एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस।
सीईपीडी: उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग।
स्रोत: आरबीआई।

परिषद (आईसीसी) पुरुष क्रिकेट विश्व कप जैसे उच्च प्रभाव वाले आयोजनों/कार्यक्रमों में भाग लिया। टियर 3 और 4 शहरों में अधिक पहुंच के लिए, राष्ट्रीय प्रसारकों, जैसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से भी अभियान चलाए गए।

X.11 ये जन जागरूकता संदेश साप्ताहिक आधार पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जारी किए गए। याद होगा कि, इसके लिए दो शुभंकर, 'मनी कुमार' और 'मिस मनी' का सभी पीएसी में उपयोग किया जाता है। डिजिटल मीडिया के माध्यम से चलाए गए ये अभियान 360-डिग्री अभियान (टीवी, प्रिंट, रेडियो, डिजिटल, एसएमएस, ओओएच और सिनेमा सहित सभी जन मीडिया को शामिल करते हुए) के पूरक हैं।

अन्य पहल

क्षेत्रीय मीडिया कर्मियों के लिए कार्यशाला

X.12 रिज़र्व बैंक क्षेत्रीय मीडिया कर्मियों के साथ नियमित कार्यशालाएं आयोजित करता है और उनसे नियमित बातचीत

करता है ताकि वे केंद्रीय बैंक के कार्य को समझ सकें और उसकी नवीनतम गतिविधि, अवधारणाओं और उसकी नीतियों के पीछे के तर्कों के बारे में जान सकें। वर्ष के दौरान जयपुर और बंगलुरु में ऐसी दो कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।

मौद्रिक नीति के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस

X.13 द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद, गवर्नर और उप गवर्नर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हैं। वर्ष के दौरान इस प्रकार की छह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गईं।

अनौपचारिक मीडिया संवाद

X.14 रिज़र्व बैंक जब भी आवश्यक हो, अनौपचारिक परिवेश में मीडिया संवाद आयोजित करता है। वर्ष के दौरान इस प्रकार के 17 संवाद आयोजित किए गए।

सोशल मीडिया कमांड सेंटर

X.15 फोलोवर्स की बढ़ती संख्या, जन सहभागिता और सूचना प्रसार के माध्यम से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिज़र्व बैंक की उपस्थिति अच्छे प्रमाण में दिखाई देती है (सारणी X.2)। रिज़र्व बैंक ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, पब्लिक ऐप, एक्स (पूर्व में ट्विटर) और यूट्यूब के अलावा दिसंबर 2023 में लिंकडइन में अपनी उपस्थिति दर्ज कर सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति का विस्तार किया।

आरबीआई वेबसाइट

X.16 2023-24 के दौरान, विभाग ने 2,146 प्रेस विज्ञप्तियां, 161 अधिसूचनाएं, 19 मास्टर परिपत्र और 16 मास्टर निदेश जारी किए और 20 साक्षात्कार और शीर्ष प्रबंधन के 48 भाषण, सात आरबीआई रिपोर्ट, सात वर्किंग पेपर, 2,249 निविदाएं और 46 भर्ती संबंधी विज्ञापन अपलोड किए और एक्स (पहले ट्विटर) पर 239 पोस्ट किए।

सारणी X.2: सोशल मीडिया उपस्थिति*

(लाख)

प्लेटफॉर्म	सोशल मीडिया हैंडल/पेज का नाम	शुरू करने की तारीख	फॉलोवर्स/सब्सक्राइबर्स की संख्या
1	2	3	4
1. X (पूर्व में ट्वीटर)	i. @RBI ii. @RBIsays	जनवरी 2012 अगस्त 2019	22.5 2.19
2. यूट्यूब	Reserve Bank of India	अगस्त 2013	2.07
3. फेसबुक	i. @RBIsays ii. @therbimuseum	अगस्त 2019 फरवरी 2020	0.13 0.02
4. इंस्टाग्राम	@reservebankofindia	जनवरी 2022	3.75
5. पब्लिक ऐप	@RBIsays	जनवरी 2023	0.49
6. लिंकडइन	Reserve Bank of India (RBI)	दिसंबर 2023	1.66

*: 28 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
स्रोत: आरबीआई

2024-25 के लिए कार्यसूची

X.17 2024-25 के दौरान, रिज़र्व बैंक के संचार चैनलों को और मजबूत किया जाएगा, और निम्नानुसार प्रयास किए जाएंगे:

- समय-समय पर मीडिया कर्मियों के लिए कार्यशालाएँ आयोजित करना;
- विभिन्न विषयों पर आयोजित 360-डिग्री जागरूकता अभियानों को जारी रखना;
- रिज़र्व बैंक की संचार नीति की व्यापक समीक्षा करना;
- आरबीआई *सुनता* है (आरबीआई लिसन्स) कार्यक्रम शुरू करना;
- वित्तीय जागरूकता और सार्वजनिक जागरूकता संदेशों के प्रसार के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म का प्रभावी ढंग से उपयोग करना; और
- 'दी आरबीआई म्यूजियम' माइक्रोसाइट विकसित करना।

3. अंतरराष्ट्रीय संबंध

X.18 2023-24 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने अपने अंतरराष्ट्रीय विभाग (आईडी) के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय संगठनों (आईओ) और बहुपक्षीय निकायों के साथ आर्थिक और वित्तीय संबंधों को मजबूत किया। भारत के दृष्टिकोण को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), जी20, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस), वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी), ब्रिक्स¹ और सार्कफाइनेंस² जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रखा गया। भारत की जी20 अध्यक्षता 30 नवंबर 2023 को सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें ब्राजील ने 2024 के लिए जी20 की अध्यक्षता ग्रहण की। रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2024 के लिए दक्षिण-पूर्व एशियाई सेंट्रल बैंक (एसईएसीईएन) अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की अध्यक्षता ग्रहण की।

2023-24 के लिए कार्यसूची

X.19 विभाग ने 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

¹ ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका।

² दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) देशों (जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका) के केंद्रीय बैंक गवर्नरों और वित्त सचिवों का नेटवर्क।

- जी20 अध्यक्षता वित्त ट्रैक (उत्कर्ष 2.0) [पैराग्राफ X.20-X.24];
- आईएमएफ-विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) संयुक्त पंचवार्षिक निगरानी - भारत के लिए वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) 2024 (उत्कर्ष 2.0) [पैराग्राफ X.26-X.27]; और
- रिजर्व बैंक, भारत सरकार (जीओआई) की सहमति से 2023-26 के लिए एक सार्क करेंसी स्वैप ढांचा स्थापित करेगा (उत्कर्ष 2.0) [पैराग्राफ X.29]।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.20 भारतीय अध्यक्षता के जी20 वित्त ट्रैक में विभिन्न कार्य समूहों में प्राथमिकताओं के साथ डिजिटलीकरण, ग्लोबल साउथ के सरोकारों और जलवायु परिवर्तन के व्यापक विषयों की प्रधानता थी। रिजर्व बैंक वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों (एफएसआई), अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना (आईएफए) के तहत कई जी20 वित्त ट्रैक प्राथमिकताओं और वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी (जीपीएफआई) पर काम शुरू करने के लिए वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारत सरकार के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। इसमें एफएसबी, बीआईएस, आईएमएफ और ओईसीडी जैसे आईओ के साथ गहन सहयोग भी शामिल था। विभाग ने भारतीय अध्यक्षता के तहत जी20 वित्त ट्रैक कार्यक्रमों पर एक ई-संकलन तैयार किया, जिसका शीर्षक 'जी20 वित्त ट्रैक- वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर: स्मृतियां और परिणाम' है।

X.21 जीपीएफआई ने वित्तीय समावेशन कार्य योजना (एफआईएपी) 2020, जो छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए डिजिटल वित्तीय समावेशन और वित्त पर केंद्रित है, को पूरा करने के साथ वित्तीय समावेशन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) का लाभ उठाने को प्राथमिकता दी। एफआईएपी 2023 को वित्तीय सेवाओं तक बुनियादी पहुंच के स्थान पर गुणवत्तापूर्ण पहुंच की ओर बढ़ने पर जोर देने के साथ तैयार किया गया।

X.22 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप (आईएफए डब्ल्यूजी) में, रिजर्व बैंक ने (i) केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी) के समष्टि-वित्तीय निहितार्थों का आकलन करने; (ii) सतत पूंजी प्रवाह के माध्यम से वित्तीय समुत्थानशीलता को मजबूत करने; और (iii) वैश्विक वित्तीय सुरक्षा तंत्र (जीएफएसएन) को मजबूत करने पर काम शुरू किया।

X.23 एफएसआई के तहत, रिजर्व बैंक ने जी20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं (i) धन के निर्बाध प्रवाह के लिए राष्ट्रीय द्रुतगति भुगतान प्रणालियों की अंतर-परिचालनीयता; (ii) बिगटेक और फिनटेक से संबंधित तीसरे पक्ष के जोखिमों और आउटसोर्सिंग को प्रबंधित करने की वित्तीय संस्थानों की क्षमता को भी मजबूत करने; और (iii) वित्तीय क्षेत्र की साइबर समुत्थानशीलता को मजबूत करने के लिए एक रिपोर्टिंग ढांचे पर कार्य शुरू किया।

X.24 जन-केंद्रित दृष्टिकोण का पालन करते हुए, रिजर्व बैंक ने भारत की जी20 अध्यक्षता वित्त ट्रैक प्राथमिकताओं के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए "जनभागीदारी" (लोगों की भागीदारी) और घरेलू कार्यक्रमों के आयोजन में अग्रणी भूमिका निभायी। रिजर्व बैंक ने जी20 मंत्रिस्तरीय और कार्य समूह की बैठकों के साथ-साथ इस अध्यक्षता की प्राथमिकताओं पर कई कार्यक्रम अलग से भी आयोजित किए। इसके अलावा, आईएफए और फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप (एफडब्ल्यूजी) की जी20 प्राथमिकताओं पर एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम 11 अगस्त 2023 को मुंबई में आयोजित किया गया। 9-10 सितंबर 2023 के दौरान नई दिल्ली में जी20 नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जो नई दिल्ली के नेताओं की घोषणा (एनडीएलडी) को अपनाने के साथ समाप्त हुआ।

X.25 आईएमएफ ने कोटा संबंधी 16वीं सामान्य समीक्षा (जीआरक्यू) संपन्न की। 15 दिसंबर, 2023 को, इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) ने सदस्यों के कोटा में 50 प्रतिशत (एसडीआर 238.6 बिलियन या यूएस \$ 320 बिलियन) की वृद्धि को मंजूरी दी जिससे आईएमएफ का कुल कोटा एसडीआर

715.7 बिलियन (यूएस \$ 960 बिलियन) हो जाएगा। बढ़ा हुआ कोटा सदस्यों को उनके मौजूदा कोटा शेयरों के अनुपात में आवंटित किया जाएगा। भारत का कोटा बढ़कर एसडीआर 19.67 बिलियन (यूएस \$ 25.9 बिलियन³) हो जाएगा। 16वें जीआरक्यू में यह भी परिकल्पना की गई है कि एक बार कोटा वृद्धि प्रभावी हो जाने पर, द्विपक्षीय उधार समझौते (बीबीए) समाप्त हो जाएंगे और आईएमएफ की वर्तमान ऋण देने की क्षमता को बनाए रखने के लिए उधार लेने की नई व्यवस्था (एनएबी) को कम कर दिया जाएगा।

X.26 विभाग ने अप्रैल और अक्टूबर 2023 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति (आईएमएफसी) की फंड-बैंक बैठकों के लिए सूचनाएं उपलब्ध कराईं। विभाग ने सितंबर 2023 में आयोजित आईएमएफ के आर्टिकल IV परामर्श को पूरा करने में सहायता की। भारत की 2023 आर्टिकल IV परामर्श स्टाफ रिपोर्ट 18 दिसंबर 2023 को प्रकाशित हुई।

X.27 जब 1999 में एफएसएपी कार्यक्रम शुरू हुआ, तब मूल्यांकन स्वैच्छिक था। 2010 में, आईएमएफ ने भारत के प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्रों सहित 25 अधिकार क्षेत्रों के लिए हर पांच साल में एफएसएपी मूल्यांकन अनिवार्य कर दिए। भारत के लिए एफएसएपी 2024 से संबंधित कार्य शुरू कर दिया गया है।

X.28 ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों ने वैकल्पिक मुद्राओं में भुगतान और धन के वास्तविक अंतरण के साथ आईएमएफ कार्यक्रम से अलग किए गए चलनिधि लिखत को शामिल करते हुए एक आकस्मिक रिज़र्व व्यवस्था (सीआरए) परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया। परीक्षण की सफलता ब्रिक्स सीआरए की परिचालन तत्परता की पुष्टि करने में एक महत्वपूर्ण कदम था। ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों ने विभिन्न कार्य धाराओं जैसे ब्रिक्स आर्थिक बुलेटिन, सूचना सुरक्षा, भुगतान प्रणाली और ट्रांजीशन

वित्त के तहत कई जानकारी साझा करने संबंधी गतिविधियों और अध्ययन रिपोर्ट के साथ अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है।

X.29 सार्क करेंसी स्वैप ढांचे के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा भूटान के रॉयल मोनीटरी एथोरिटी (आरएमएबी) के साथ एक द्विपक्षीय स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 28 नवंबर, 2023 को नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) और रिज़र्व बैंक के बीच छठी संयुक्त तकनीकी समन्वय समिति (जेटीसीसी) की बैठक आयोजित की गई। रिज़र्व बैंक ने सार्क केंद्रीय बैंकों को मौद्रिक नीति और भुगतान प्रणाली सहित विभिन्न केंद्रीय बैंकिंग क्षेत्रों में तकनीकी सहायता एवं उच्च अध्ययन के लिए सार्कफाइनेंस छात्रवृत्ति प्रदान करके सहयोग प्रदान किया। 1 मार्च, 2024 को बैंक ऑफ जापान (बीओजे) और रिज़र्व बैंक के बीच वरिष्ठ स्तरीय वार्ता (एसएलडी) आयोजित की गई।

X.30 वर्ष 2024 के लिए एसईएसीईएन केंद्र के चेअर के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 59वें एसईएसीईएन गवर्नरों के सम्मेलन जो 'आर्थिक बाधाओं को दूर करना और वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना: परिप्रेक्ष्य और चुनौतियाँ' विषय पर केन्द्रित था और 15 और 16 फरवरी 2024 को मुंबई में आयोजित 43वें एसईएसीईएन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक की मेजबानी की।

X.31 विभाग ने 40 से अधिक अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय बैठकों/मुद्दों में टिप्पणियों/सूचनाओं के साथ सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को सहयोग प्रदान किया।

अन्य पहल

बीआईएस की गतिविधियाँ

X.32 विभाग ने बीआईएस की विभिन्न बैठकों जैसे गवर्नरों की द्विमासिक बैठकें, वैश्विक वित्तीय प्रणाली समिति (सीजीएफएस)⁴, उभरते बाजार उप-गवर्नरों की बीआईएस

³ 7 नवंबर, 2023 की एसडीआर/यूएसडी विनिमय दर के आधार पर।

⁴ सीजीएफएस वैश्विक वित्तीय बाजारों में तनाव के संभावित स्रोतों का आकलन करता है और उनके कामकाज और स्थिरता में सुधार को बढ़ावा देता है।

वार्षिक बैठक, हाँगकाँग मॉनिटरी एथोरिटी उच्च स्तरीय सम्मेलन और बीआईएस वार्षिक सम्मेलन के लिए विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान की। इसके अलावा, विभाग ने बीआईएस प्रिपरेटरी एशियन कंसल्टेटिव काउंसिल (एसीसी) की बैठकों में भाग लिया। विभाग ने बीआईएस सर्वेक्षण जैसे की गैर-बैंक ऋण पर वित्तीय स्थिरता सर्वेक्षण और केंद्रीय बैंक नीति बोर्डों के लिए बैठक प्रोटोकॉल पर केंद्रीय बैंक अभिशासन नेटवर्क (सीबीजीएन) सर्वेक्षण में योगदान दिया। विभाग ने मौद्रिक नीति पर बीआईएस वर्किंग पार्टी, ब्याज दर जोखिम एक्सपोजर पर सीजीएफएस वर्किंग ग्रुप, समष्टि विवेकपूर्ण नीति पर सीजीएफएस कार्यशाला, केंद्रीय बैंक आरक्षित निधि, चलनिधि विनियमन और वित्तीय स्थिरता पर संयुक्त बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति- बाजार समिति-सीजीएफएस (बीसीबीएस-एमसी-सीजीएफएस) वर्किंग ग्रुप और एशियाई केंद्रीय बैंकों के बीच जलवायु वित्त पर बीआईएस-एशियाई विकास बैंक गोलमेज चर्चा में रिजर्व बैंक की भागीदारी का भी समन्वयन किया।

वैश्विक वित्तीय विनियमन पर एफएसबी की पहल

X.33 विभाग ने एफएसबी की विभिन्न स्थायी समितियों की चर्चा में योगदान दिया, जिसमें वित्तीय स्थिरता पर वैश्विक सहयोग; गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफआई) की समुत्थानशीलता; क्रिप्टो-आस्तियां; और अन्य वित्तीय नवोन्मेष; सीमा-पार भुगतान; साइबर और परिचालनगत समुत्थानशीलता और जलवायु परिवर्तन से वित्तीय जोखिम जैसे कई विषयों पर रिजर्व बैंक के विचार प्रस्तुत किए। वर्ष के दौरान, विभाग ने सीमा-पार भुगतान बढ़ाने के लिए जी20 रोडमैप; ओवर दि काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव बाजार सुधार; एनबीएफआई की समुत्थानशीलता में वृद्धि; गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता पर वैश्विक निगरानी रिपोर्ट (जीएमआर); और क्रिप्टो-आस्तित्व गतिविधियों के लिए वैश्विक विनियामक ढांचा जैसी प्रमुख एफएसबी रिपोर्टों पर सूचना प्रदान की।

X.34 इसके अतिरिक्त, विभाग ने एफएसबी द्वारा आयोजित विभिन्न सर्वेक्षणों में योगदान दिया जिसमें इसका वार्षिक निगरानी अभ्यास; कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) अपनाने पर सिफारिशों को लागू करने की प्रगति पर सर्वेक्षण; ओटीसी डेरिवेटिव बाजार सुधारों के कार्यान्वयन पर वार्षिक प्रश्नावली, और प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन (एसएफटी) पर एफएसबी नीति सिफारिशों के कार्यान्वयन शामिल हैं। विभाग '12वें भारत-यूके आर्थिक और वित्तीय संवाद-संयुक्त वक्तव्य' और 'भारत-यूएसए आर्थिक और वित्तीय साझेदारी (ईएफपी)' की त्रैमासिक बैठकों के लिए सूचना प्रदान करने में सक्रिय रूप से शामिल था।

2024-25 के लिए कार्यसूची

X.35 वर्ष के दौरान, विभाग रिजर्व बैंक की अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों के निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- 2024-26 के लिए सार्क करेंसी स्वैप ढांचा (उत्कर्ष 2.0);
- आईएमएफ-डब्ल्यूबी संयुक्त पंचवार्षिक निगरानी-भारत के लिए वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) 2024 (उत्कर्ष 2.0); और
- वर्ष 2024 के लिए एसईएसीईएन केंद्र के चेअर के रूप में, रिजर्व बैंक 17वें एसईएसीईएन उच्च-स्तरीय सेमिनार और एसईएसीईएन कार्यकारी समिति की 23वीं बैठक की मेजबानी करेगा।

4. सरकारी और बैंक लेखा

X.36 सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) आंतरिक लेखों का लेखा-जोखा रखने और रिजर्व बैंक की लेखा नीतियों को तैयार करने के अलावा बैंकों के बैंकर और सरकारों के बैंकर के रूप में रिजर्व बैंक के कार्यों का प्रबंधन करता है।

2023-24 के लिए कार्यसूची

X.37 विभाग ने 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किया था:

- ई-कुबेर और सरकारी प्रणाली के बीच एकीकरण के माध्यम से चरणबद्ध रूप में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत भुगतान लागू करना (पैराग्राफ X.38)।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.38 सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), राज्य एकीकृत वित्तीय प्रबंधन और सूचना प्रणाली (आईएफएमआईएस) और रिजर्व बैंक की ई-कुबेर प्रणाली के एक एकीकृत ढांचे के माध्यम से सीएसएस निधि जारी करने के लिए एसएनए-स्पर्श⁵ को वर्ष के दौरान लागू किया गया (बॉक्स X.2)। 31 मार्च 2024 तक केंद्र सरकार के साथ सात

बॉक्स X.2

सरकारी भुगतान में दक्षता लाने की पहल - सीएसएस को लागू करना

रिजर्व बैंक केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ समन्वय करते हुए सरकारी भुगतानों में दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयास रहा है तथा 'उपुक्त समय में' (जस्ट इन टाइम) सिद्धांत के अनुसार निधि जारी करना यथासंभव लागू कर रहा है ताकि सरकार की नकदी प्रबंधन प्रणाली को अधिक दक्ष बनाया जा सके। एसएनए-स्पर्श एक एकीकृत ढांचे के माध्यम से केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर सीएसएस फंड जारी करने के लिए एक अतिरिक्त वैकल्पिक निधि प्रवाह तंत्र है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 13 जुलाई 2023 को एसएनए-स्पर्श के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए थे, जिनकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- रिजर्व बैंक एजेंसी बैंक की भागीदारी के बिना सरकारों के लिए प्राथमिक बैंकर के रूप में कार्य करता है;
- भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग मौजूदा यूजर डिफाइन्ड कस्टमर हायरारकी (यूडीसीएच) कोड के तहत रिजर्व बैंक के साथ एक आहरण खाता खोलेंगे;
- राज्य सरकार सीएसएस के अनुरूप प्रत्येक राज्य से जुड़ी योजना (एसएलएस) को लागू करने के लिए एक एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) नामित करेगी। राज्य सरकार रिजर्व बैंक में एसएलएस-वार एसएनए आहरण खाते खोलेगी;
- वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, मंत्रालय/विभाग राज्य के सीएसएस के लिए पीएफएमएस में एक 'मदर सैंक्शन' सृजित करेंगे। 'मदर सैंक्शन' उस सीएसएस के लिए मंत्रालय/विभाग की राज्य-वार आहरण सीमा को तय करेगा;

- राज्य सरकार केंद्रीय हिस्से का अग्रिम जारी करने के लिए समेकित (केंद्र और राज्य का हिस्सा) भुगतान फ़ाइल पीएफएमएस के साथ साझा करेगी, जिसके बाद संबंधित मंत्रालय/विभाग केंद्र के आहरण खाते से राज्य के आहरण खाते में धनराशि के केंद्रीय हिस्से के अंतरण के लिए मंजूरी सृजित करेगा। मंजूरी संबंधी आवश्यक विवरण पीएफएमएस द्वारा ई-भुगतान फ़ाइल के रूप में ई-कुबेर को सूचित किया जाएगा। इस प्रकार राज्य के आहरण खाते में केंद्रीय हिस्से को पहले ही जमा कर दिया जाएगा। धनराशि का केंद्रीय हिस्सा जारी होने के बाद उस राज्य संबंधी योजना के लिए केंद्र के आहरण खाते के 'मदर सैंक्शन' में से समतुल्य राशि कम हो जाएगी;
- केंद्र का हिस्सा प्राप्त होने पर समेकित भुगतान फ़ाइल राज्य राजकोष प्रणाली से ई-कुबेर में स्वचालित रूप से अंतरित हो जाएगी, जहां से भुगतान फ़ाइल की कुल राशि के अनुसार राज्य की आहरण राशि को नामे किया जाएगा और भुगतान फ़ाइल में दिए गए निर्देशों के अनुसार विक्रेताओं/लाभार्थियों को भुगतान जारी किया जाएगा। ई-कुबेर इस भुगतान की नामे सूचना पीएफएमएस और राज्य आईएफएमआईएस दोनों के साथ साझा करेगा; और
- धनराशि संबंधित समेकित निधि में जमा रहेगी और उसे लाभार्थियों/विक्रेताओं को 'जस्ट-इन-टाइम' सिद्धांत के अनुसार जारी किया जाएगा।

परियोजना के प्राथमिक प्रयोग के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2023 के अंत तक छह योजनाओं और दस राज्यों⁶ की पहचान की गई है।

स्रोत: आरबीआई।

⁵ एकल नोडल एजेंसी - समयोचित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण (एसएनए-स्पर्श) एकीकृत त्वरित हस्तांतरण की एक वास्तविक समय प्रणाली है।

⁶ राजस्थान, कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार और असम।

राज्य सरकारें इस एकीकृत मंच पर लाइव हो गई हैं। इस योजना के आगे का विस्तार वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के व्यय विभाग के परामर्श से किया जाएगा।

प्रमुख गतिविधियाँ

सरकारी रिपोर्टिंग प्रणालियों में दक्षता लाने के लिए पहल

X.39 वर्ष के दौरान, एक राज्य सरकार सेक्यूअर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल (एसएफटीपी) के माध्यम से एक्सएमएल⁷ प्रारूप में क्लियरेंस मेमो और फैंक्स संदेश रिपोर्ट प्राप्त करने की कार्यक्षमता के लिए लाइव हुई। इसके साथ तीन राज्य सरकारें (अर्थात्, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पंजाब) अब इस कार्यक्षमता के साथ तैयार हैं।

पहले से की गई सरकारी पहलों का स्थिरीकरण

X.40 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक की ई-कुबेर प्रणाली के साथ विभिन्न सरकारी भुगतानों और प्राप्तियों के एकीकरण के माध्यम से सरकारी बैंकिंग की प्रक्रिया को लगातार उन्नत करने और बेहतर बनाने के रिज़र्व बैंक के प्रयास के रूप में, टैक्स इन्फोर्मेशन नेटवर्क (टीआईएन 2.0) जिसने ऑनलाइन कर लेखा प्रणाली (ओएलटीएस) को संवर्द्धन और संशोधनों के साथ प्रतिस्थापित किया, स्थिर हुआ है। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित त्रुटि ज्ञापन (एमओई) मामलों के ऑनलाइन प्रसंस्करण के लिए रिज़र्व बैंक की प्रणाली के साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के एकीकरण कार्य गोवा और पश्चिम बंगाल के राज्यों को एकीकृत राज्यों की सूची में शामिल करके, आगे बढ़ाया गया जबकि मेघालय राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली और लक्षद्वीप) के लिए उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण प्रक्रिया अभी चल रही है।

एजेंसी बैंकों की नियुक्ति

X.41 रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के साथ अपने एजेंट के रूप में करार किए हैं, जिसमें भारत में सभी स्थानों पर या किसी स्थान पर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए बैंकों को एजेंट के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान है। वर्ष के दौरान, भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में काम करने वाले एक विदेशी बैंक को भी एक एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त किया गया जिससे एजेंसी बैंकों की कुल संख्या बढ़कर 33 हो गई।

प्रतिसूचना के आदान-प्रदान के लिए सभी हितधारकों के साथ बातचीत के लिए पहल

X.42 22 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय तथा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के सभी महालेखाकारों के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जो रिज़र्व बैंक द्वारा इस तरह की पहली पहल थी। इसी तरह, 1 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में 33 एजेंसी बैंकों के सरकारी व्यापार प्रमुखों और चुनिंदा राज्यों के हितधारकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। ये बैठकें पिछले लंबित मुद्दों को हल करने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच व्यापक विचार-विमर्श को संभव बनाने और विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए रिज़र्व बैंक की ई-कुबेर प्रणाली के साथ एकीकरण के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यवाही के संबंध में आयोजित की गई थीं।

2024-25 के लिए कार्यसूची

X.43 विभाग द्वारा 2024-25 के लिए निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित है:

- अधिसूचित राज्यों के लिए सरकारी प्रणाली के साथ ई-कुबेर के एकीकरण के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन (उत्कर्ष 2.0)।

⁷ एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज

5. विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन

X.44 आरक्षित निधि प्रबंधन कार्य बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिमों और वित्तीय बाजार की अस्थिरता के कारण चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। 2022-2023 में लगातार हुई समक्रमिक वैश्विक मौद्रिक सख्ती ने निश्चित आय वाले निवेशकों को प्रभावित किया, जिससे मूल्यांकन समायोजित हुआ। 2024 में केंद्रीय बैंकों द्वारा नीतिगत दरों में अपेक्षित कटौती और अन्य नीतिगत उपाय किए जाने से पोर्टफोलियो प्रबंधक के निवेश परिचालन के संचालन में जोखिमों और लाभ संबंधी नई संभावनाएं बन सकती हैं।

X.45 आरक्षित निधि प्रबंधन के व्यापक सिद्धांतों (अर्थात् सुरक्षा, चलनिधि और प्रतिलाभ) के अनुसार बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआईओ) ने विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर) के प्रबंधन के लिए इसी अनुक्रम में कार्य करना जारी रखा। वर्ष 2023-24 के दौरान एफईआर में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि वर्ष 2022-23 के दौरान इसमें 4.7 प्रतिशत की कमी आई। विभाग ने अपने परिभाषित नीतिगत उद्देश्यों के अनुसार विदेशी मुद्रा आस्ति परिनियोजन के लिए नए आस्ति वर्गों/अधिकार क्षेत्रों की खोज करके विदेशी मुद्रा भंडार के विविधीकरण को सुनिश्चित करने के अपने प्रयास को भी जारी रखा।

2023-24 के लिए कार्यसूची

X.46 विभाग ने 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- नेक्स्ट जेनेरेशन ट्रेजरी एप्लिकेशन (एनजीटीए) को लागू करके आरक्षित निधि प्रबंधन कार्यों का प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करना (उत्कर्ष 2.0) [पैराग्राफ X.47]।

- वैश्विक स्तर पर भारतीय रुपये (आईएनआर) की भूमिका को बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक के प्रयास के रूप में, और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और मौद्रिक वातावरण का आकलन करने में विभाग की विशेष जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए, विभाग आईएनआर के अंतरराष्ट्रीयकरण को और बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। इसके अलावा विभाग एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) तंत्र में आईएनआर और अन्य घरेलू मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देगा (उत्कर्ष 2.0) [पैराग्राफ X.48-X.49]; तथा
- आरक्षित निधि प्रबंधन के व्यापक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विदेशी मुद्रा भंडार का सक्रिय रूप से प्रबंधन जारी रखना और प्रतिलाभ बढ़ाने के लिए रणनीतियों को अपनाना (पैराग्राफ X.50)।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.47 विभाग एनजीटीए को लागू करने की प्रक्रिया में है और वर्ष के दौरान इसमें प्रगति हुई है।

X.48 आईएनआर के अंतरराष्ट्रीयकरण पर अंतर विभागीय समूह (आईडीजी) की रिपोर्ट में पहचाने गए अल्पकालिक लक्ष्यों में से, कुछ सिफारिशों के कार्यान्वयन में आंशिक उपलब्धियां हासिल की गई हैं, अर्थात्, विशेष रुपया वोस्ट्रो खातों के माध्यम से व्यापार निपटान के लिए निर्यात प्रोत्साहन का प्रावधान; जून 2024 से जेपी मॉर्गन जीबीआई-ईएम ग्लोबल इंडेक्स में सरकारी बाण्डों को शामिल करना; सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका द्वारा भारतीय रुपये को नामित विदेशी मुद्रा के रूप में मान्यता देना; सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई⁸ और बैंक इंडोनेशिया

⁸ रिज़र्व बैंक ने सीमा-पार लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं, यानी आईएनआर और यूएई दिरहम (एईडी) के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु एक ढांचा स्थापित करने के लिए 15 जुलाई, 2023 को सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई (सीबीयूएई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य आईएनआर और एईडी के द्विपक्षीय उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली (एलसीसीएस) स्थापित करना है। एलसीसीएस के निर्माण से निर्यातक और आयातक चालान बना पाएंगे और अपनी संबंधित घरेलू मुद्राओं में भुगतान कर पाएंगे, जो बदले में आईएनआर-एईडी विदेशी मुद्रा बाजार के विकास को सक्षम करेगा।

(बीआई)⁹ के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान (एलसीएस) समझौता ज्ञापन में प्रवेश करना; और कई देशों में लाइव फास्ट पेमेंट सिस्टम के माध्यम से यूपीआई क्विक रिस्पांस (क्यूआर) कोड को सक्षम बनाना, रुपये कार्ड जारीकरण और पीयर-टू-पीयर (पी2पी) प्रेषण की स्वीकृति को सक्षम करना।

X.49 रिज़र्व बैंक ने वर्चुअल कार्यशालाओं का आयोजन किया और एसीयू के सदस्य केंद्रीय बैंकों के साथ एक इन-हाउस पुस्तिका साझा की, जो एसीयू तंत्र में घरेलू मुद्राओं के संभावित उपयोग के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है।

X.50 पोर्टफोलियो विविधीकरण के उद्देश्य से, विभाग ने प्रतिलाभ में वृद्धि करने के लिए कुछ गैर-पारंपरिक बाजारों और उत्पादों/लिखतों का पता लगाया है।

2024-25 के लिए कार्यसूची

X.51 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- आरक्षित निधि प्रबंधन में केंद्रीय बैंक साधियों को नेतृत्वकारी भूमिका प्रदान करने के लिए वैश्विक प्रक्रियाओं और निवेश ढांचों को अपनाना;
- स्थानीय मुद्रा के माध्यम से व्यापार निपटान में दक्षता लाने के लिए भारतीय रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहित करना; और
- एसीयू तंत्र के तहत भारतीय रुपये का उपयोग करके व्यापार निपटान के लिए एक परिचालन तंत्र तैयार करना (उत्कर्ष 2.0)।

6. आर्थिक और नीति अनुसंधान

X.52 रिज़र्व बैंक के ज्ञान केंद्र के रूप में, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) नीति निर्माण के लिए

निरंतर आधार पर विश्लेषणात्मक और अनुसंधान-आधारित सूचनाएं उपलब्ध कराता है। प्रमुख प्राथमिक और द्वितीयक डेटा के संकलन और प्रसार के अलावा रिज़र्व बैंक की विभिन्न सांविधिक और गैर-सांविधिक रिपोर्टें तैयार की जाती हैं। विभाग सामयिक समष्टि आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर शोध पत्र/आलेख प्रकाशित करता है, बाहरी शोधकर्ताओं के साथ रिज़र्व बैंक के स्टाफ द्वारा सहयोगात्मक अनुसंधान से संबंधित अध्ययन जारी करता है और समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा गठित तकनीकी समूहों/समितियों के कार्य में सहायता करता है।

X.53 मौद्रिक समुच्चय, भुगतान संतुलन, विदेशी ऋण, प्रभावी विनिमय दर, संयुक्त सरकारी वित्त, पारिवारिक वित्तीय बचत और निधियों के प्रवाह पर प्राथमिक आंकड़ों का संकलन और प्रसार आंकड़ों की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया गया। कृषि आपूर्ति शृंखलाओं में मूल्य निर्धारण प्रक्रिया को समझने के लिए प्रमुख कृषि वस्तुओं की मूल्य गतिशीलता को समझने और मूल्य शृंखलाओं में सुधार के तरीकों की पहचान करने के लिए मंडियों में किसानों, व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं का एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया गया।

2023-24 के लिए कार्यसूची

X.54 2023-24 के दौरान, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- उभरते मुद्दों को पर्याप्त रूप से शामिल करने के साथ विश्लेषण की गुणवत्ता में सुधार करते हुए न्यूनतम 100 शोध पत्रों का प्रकाशन (उत्कर्ष 2.0) [पैराग्राफ X.55-X.56];

⁹ आरबीआई और बीआई ने सीमा पर लेनदेन के लिए द्विपक्षीय रूप से स्थानीय मुद्राओं जैसे आईएनआर और आईडीआर के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने के लिए 7 मार्च, 2024 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एलसीएसएस समझौता ज्ञापन में सभी चालू खाता लेनदेन, अनुमत पूंजी खाता लेनदेन और दोनों देशों द्वारा सहमति के अनुसार किसी भी अन्य आर्थिक और वित्तीय लेनदेन को शामिल किया गया है। यह ढांचा निर्यातकों और आयातकों को अपनी संबंधित घरेलू मुद्राओं में चालान और भुगतान करने में सक्षम करेगा, जो बदले में आईएनआर-आईडीआर विदेशी मुद्रा बाजार के विकास को सक्षम करेगा। स्थानीय मुद्राओं का उपयोग लेनदेन के लिए लागत और निपटान समय को अनुकूलित करेगा।

- नीतिगत प्रासंगिकता वाले विभिन्न सामयिक मुद्दों पर अध्ययन (पैराग्राफ X.56);
- एक वैश्विक मौद्रिक नीति और ग्लोबल स्पिलओवर डैशबोर्ड तथा स्पिलओवर सूचकांक विकसित करना (उत्कर्ष 2.0) [पैराग्राफ X.57]; और
- वैश्विक आपूर्ति शृंखला निगरानी ढांचा विकसित करना (उत्कर्ष 2.0) [पैराग्राफ X.57]।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.55 2023-24 के दौरान, विभाग ने रिज़र्व बैंक की प्रमुख वैधानिक रिपोर्ट, अर्थात्, वार्षिक रिपोर्ट और भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट समय पर जारी की। “राज्य वित्त: बजट अध्ययन – 2023-24”, भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी पुस्तिका 2022-23 और पंचायती राज संस्थानों के वित्त पर एक अध्ययन शीर्षक की रिपोर्ट भी जारी की गई। इसके अलावा, “हरित स्वच्छ भारत की ओर” इस व्यापक विषय पर मुद्रा और वित्त 2022-23 रिपोर्ट जारी की गई।

X.56 विभाग ने वर्ष के दौरान, 102 शोध पत्र/लेख प्रकाशित किए जिनमें (क) राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने के लिए राजकोषीय लागत और उसके समष्टि आर्थिक प्रभाव; (ख) भारत में सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में उतार-चढ़ाव का बैंक लाभप्रदता पर प्रभाव; (ग) तेल मूल्य प्रक्षेपवक्र का आकलन; (घ) कोविड-19 महामारी और भारत के अनुसंधान और विकास व्यय की समुत्थानशीलता; (ङ) मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं का विश्लेषण; (च) वित्तीय आंकड़ों से मौद्रिक नीति प्रत्याशाओं को डिकोड करना; और (छ) मशीन लर्निंग तकनीकों के साथ भारत में मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान शामिल हैं। विभाग के अनुसंधान के एक भाग के रूप में डिजिटल भुगतान पारितंत्र जैसे विभिन्न उभरते क्षेत्रों को भी शामिल किया गया।

X.57 विभाग ने जनवरी 2024 में मैनुअल के साथ वर्ष 2021-22 के लिए केएलईएमएस (पूँजी, श्रम, ऊर्जा, सामग्री और सेवाएं) डेटा जारी किया। वैश्विक आपूर्ति शृंखला निगरानी के लिए माल दुलाई दरों, प्रतीक्षा समय, वैश्विक आपूर्ति शृंखला दबाव सूचकांक (जीएससीपीआई) और भारत के लिए आपूर्ति शृंखला दबाव सूचकांक (आईएसपीआई) जैसे संकेतकों को शामिल करके एक डैशबोर्ड विकसित किया गया। बाहरी स्पिलओवर के माप को मजबूत करने के लिए वैश्विक मौद्रिक नीति और स्पिलओवर डैशबोर्ड को पूरा किया गया।

अन्य पहल

X.58 वर्ष के दौरान डीईपीआर स्टडी सर्कल, जो एक आंतरिक चर्चा मंच है, ने 19 संगोष्ठियों/विविध विषयों पर शोध पत्रों के प्रस्तुतीकरण का आयोजन किया। विभाग ने जून 2023 में लोनावला में छठे एशिया केएलईएमएस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया।

X.59 विभाग ने वर्ष के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए। अठारहवें एल. के. झा स्मृति व्याख्यान में प्रोफेसर लॉरेंस एच. समर्स, प्रेसिडेंट एमेरिटस, हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा 26 सितंबर 2023 को “ग्लोबल इकोनॉमिक पोसीबिलिटीज़ फॉर अवर चिल्ड्रन” पर व्याख्यान दिया गया। अठारहवां सीडी देशमुख स्मृति व्याख्यान 15 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया जिसमें प्रोफेसर अरविंद पनगढ़िया, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और प्रोफेसर जगदीश भगवती, भारतीय राजनैतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर, कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा “इंडिया एट 125: रिक्लेमिंग द लॉस्ट ग्लोरी एंड रिटर्निंग द ग्लोबल इकोनॉमी टू द ओल्ड नॉर्मल” विषय पर व्याख्यान दिया गया। छठा पी.आर. ब्रह्मानंद मेमोरियल व्याख्यान 22 फरवरी 2024 को डॉ. राकेश मोहन, प्रेसिडेंट एमेरिटस और प्रतिष्ठित फेलो, सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस (सीएसईपी), नई दिल्ली द्वारा “निम्न मध्यम-आय के जाल से बचना: राज्य के सुदृढीकरण की अनिवार्यताएं” विषय पर दिया गया। भारत सरकार के

पूर्व विदेश सचिव श्री विजय गोखले ने 24 अगस्त 2023 को “जिओपॉलिटिक्स ऑफ दी इंडो-पैसिफिक: इंप्लीकेशन्स फॉर दी नेक्स्ट डिकेड” पर एक व्याख्यान दिया।

X.60 वर्ष के दौरान, केंद्रीय पुस्तकालय ने अनुसंधान कार्य के लिए आवश्यक विभिन्न डेटाबेस और अन्य संदर्भ संसाधनों तक निर्बाध दूरस्थ पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराई। आरबीआई अभिलेखागार ने विभिन्न केंद्रीय कार्यालय विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों से फाइलें और तस्वीरें हासिल कीं और वर्ष के दौरान लगभग 5.05 लाख पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया।

X.61 रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(15बी) के अनुसरण में आरबीआई व्यावसायिक चेयर और कॉर्पस फंड योजना के माध्यम से बाहरी अनुसंधान गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्तमान में, भारत में विभिन्न अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों में 19 आरबीआई व्यावसायिक चेयर की स्थापना की गई है। वर्ष के दौरान, आरबीआई अध्यक्षों द्वारा अनुसंधान गतिविधियों में मौद्रिक नीति संचरण, वित्तीय समावेशन, बेरोजगारी, उत्पादकता, वैश्विक मूल्य शृंखला, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और राजकोषीय नीति जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया, साथ ही सीबीडीसी के नए उभरते क्षेत्र, डिजिटलीकरण, मशीन लर्निंग और जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिम की संभावनाएं भी तलाशी गईं।

2024-25 के लिए कार्यसूची

X.62 2024-25 के लिए विभाग की कार्यसूची निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केन्द्रित होगी :

- विश्लेषण और शामिल सामग्री की गुणवत्ता को बनाए रखते और उसे बढ़ाते हुए न्यूनतम 100 शोध पत्रों का प्रकाशन (उत्कर्ष 2.0);
- नई डिजिटल अर्थव्यवस्था और उत्पादकता विरोधाभास पर अध्ययन की तैयारी (उत्कर्ष 2.0);

- “खाद्य मुद्रास्फीति अनुमान ढांचा” पर आईसीआरआईआईआर¹⁰ के साथ एक संयुक्त रिपोर्ट का प्रकाशन (उत्कर्ष 2.0); और
- “मौद्रिक नीति संचरण के तुलन-पत्र चैनल”, “भारत में मुद्रास्फीति वृद्धि की गतिशीलता”, “भारत द्वारा वैश्विक मूल्य शृंखला भागीदारी और उत्पादकता पर उसका प्रभाव” और “वित्तीय समावेशन एवं भारत में मौद्रिक नीति प्रभावशीलता पर उसका प्रभाव” पर अध्ययन के साथ नीति निर्माण के लिए आवश्यक सूचनाओं को सक्षम बनाना।

7. सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन

X.63 सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम) ने समष्टि वित्तीय आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण और प्रसार के अपने मुख्य कार्यों को जारी रखा। इसने डेटा गुणवत्ता और डेटा संग्रह तंत्र को परिष्कृत करने और नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करके सूचना प्रबंधन प्रणाली को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। रिज़र्व बैंक के अगली पीढ़ी के डेटा वेयरहाउस, अर्थात्, केंद्रीय सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) को बढ़ते बड़े डेटा प्रवाह, एकत्रीकरण, विश्लेषण, सार्वजनिक प्रसार और डेटा गवर्नेन्स कार्य के लिए रिज़र्व बैंक के ढांचे में एक प्रमुख बदलाव लाने के लिए शुरू किया गया, सीआईएमएस बिग डेटा का प्रबंधन करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करता है और यह डेटा विश्लेषण तथा टेक्स्ट माइनिंग, विजुअल एनालिटिक्स और क्रॉस डोमेन डेटा के उन्नत सांख्यिकीय विश्लेषण करने के लिए ‘पावर उपयोगकर्ताओं’ के लिए एक मंच के रूप में भी काम करेगा। इसके अलावा, विभाग ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए पायलट आधार पर अपने परिवार सर्वेक्षणों की पहुंच का विस्तार किया। उच्च आवृत्ति के साथ विस्तृत बैंकिंग आंकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई जबकि प्रकाशन अंतराल और बैंकों पर रिपोर्टिंग बोझ को कम किया गया। इसके अलावा,

¹⁰ भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद।

विभाग सांख्यिकीय और विश्लेषणात्मक अनुसंधान में सक्रिय रूप से लगा रहा और उसने नीति निर्माण के लिए सूचनाएं उपलब्ध कराईं।

2023-24 के लिए कार्यसूची

X.64 विभाग ने 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- उपयोगकर्ताओं के लिए एक अत्याधुनिक डेटा पोर्टल और अनुकूलित डैशबोर्ड में एक उन्नत विश्लेषणात्मक वातावरण का निर्माण (उत्कर्ष 2.0) [पैराग्राफ X.65];
- सीआईएमएस के शेष मॉड्यूल को लागू कराना; क्वेरी और विज़ुअलाइज़ेशन टूल्स उपलब्ध कराना; सभी विनियमित संस्थाओं की ऑन-बोर्डिंग करना; और पुरानी प्रणालियों [केंद्रीकृत डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली (सीडीबीएमएस) और एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) पोर्टल] को निष्क्रिय करना [पैराग्राफ X.65];
- रिज़र्व बैंक के नियमित परिवार सर्वेक्षणों को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक विस्तारित करना (उत्कर्ष 2.0) [पैराग्राफ X.66];
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)/मशीन लर्निंग (एमएल) तकनीकों का उपयोग करके बैंकिंग विवरणियों के लिए डेटा गुणवत्ता को परिष्कृत करना (उत्कर्ष 2.0) [पैराग्राफ X.66]; और
- गैर-पारंपरिक डेटा का उपयोग करके आर्थिक गतिविधि के अतिरिक्त उच्च आवृत्ति संकेतकों का निर्माण (पैराग्राफ X.66)।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.65 रिज़र्व बैंक की अगली पीढ़ी का डेटा वेयरहाउस, अर्थात्, सीआईएमएस को एससीबी द्वारा रिपोर्टिंग के लिए 30 जून 2023 को लॉन्च किया गया। इसे चरणबद्ध तरीके से अन्य विनियमित संस्थाओं [जैसे सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)] द्वारा डेटा प्रस्तुत करने के लिए विस्तारित किया

गया। नई प्रणाली में एक सुचारू अंतरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए कई सेमिनार, कार्यशालाएं और जागरूकता सत्र आयोजित किए गए।

X.66 नियमित शहरी परिवार सर्वेक्षणों को संपूरित करने के लिए, प्रमुख आर्थिक मानदंडों पर उपभोक्ता मनोभावों और अपेक्षाओं सहित एक नया द्विमासिक सर्वेक्षण प्रायोगिक आधार पर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आयोजित किया जा रहा है। ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (आरसीएसएस) का विस्तार धीरे-धीरे 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 74 जिलों तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें प्रत्येक सर्वेक्षण दौर में 8,000 से अधिक परिवार शामिल हैं। बैंकिंग रिटर्न के लिए आउटलायर पहचान तकनीकों सहित डेटा गुणवत्ता सत्यापन को यूजर इंटरफेस के साथ टूलबॉक्स के हिस्से के रूप में ट्री-आधारित एमएल एल्गोरिदम और डीप लर्निंग मेथड के आधार पर परिष्कृत किया गया। मौजूदा सांख्यिकीय प्रयासों को पूरा करने के लिए गैर-पारंपरिक डेटा स्रोतों का अन्वेषण बढ़ाया गया। नियमित उद्यम सर्वेक्षणों के पूरक के रूप में बड़े कॉरपोरेटों द्वारा मीडिया संचार से व्यावसायिक दृष्टिकोण की नियमित जानकारी प्राप्त करने के लिए एक नेचरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी) और एमएल आधारित प्रणाली विकसित की गई है। सीज़न के दौरान रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग करते हुए चुनिंदा प्रमुख कृषि जिनसों के लिए आवधिक फसल उत्पादन मूल्यांकन भी किया गया।

अन्य पहल

X.67 बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न - 2 (बीएसआर-2), अर्थात्, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर, एससीबी के पास की जमाराशियों के संबंध में सर्वेक्षण की आवधिकता को मार्च 2023 से वार्षिक से तिमाही में बदल दिया गया है। बीएसआर-2 में व्यक्तियों की जमा राशि का आयु-समूह वितरण शुरू किया गया है और मार्च 2023 से इस बारे में जानकारी जारी की जा रही है।

X.68 बृहत ऋण सूचनागार (सीसीआईआर) प्रणाली विकसित की गई है और यह प्रणाली चुनिंदा एससीबी के साथ प्राथमिक परीक्षण के लिए तैयार है। सीआईएमएस में एक सांख्यिकीय डेटा और मेटाडेटा ईएक्सचेज (एसडीएमएक्स)

प्रबंधक मॉड्यूल विकसित किया गया है। लगभग 1,000 डेटा एलिमेंट और संबंधित एसडीएमएक्स आर्टफेक्ट के साथ एलिमेंट-आधारित रिपोर्टिग (ईबीआर) विकसित की गई है।

X.69 असंरचित और उच्च आवृत्ति जानकारी का विश्लेषण करने के लिए एआई/एमएल तकनीकों सहित बिग डेटा प्रौद्योगिकियों का उपयोग बढ़ाया जा रहा है ताकि प्रासंगिक परिणाम प्राप्त हो और नीति निर्माण में सहायता मिले। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रमुख समष्टि आर्थिक संकेतकों के लिए मीडिया सेंटीमेंट इंडेक्स विकसित किया जाना और एनएलपी तकनीकों का प्रयोग करते हुए मीडिया रिसेप्शन तथा वित्तीय बाजारों पर प्रभाव सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से रिजर्व बैंक की नीति संचार का नियमित मूल्यांकन शामिल है।

X.70 विभाग ने प्रमुख समष्टि आर्थिक संकेतकों के मूल्यांकन और पूर्वानुमान के लिए कार्यप्रणाली को परिष्कृत करने के अपने प्रयासों को जारी रखा। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ बार-बार होने वाले प्रतिकूल आपूर्ति आघातों को ध्यान में रखते हुए राज्यों में मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव का विस्तृत विश्लेषण शामिल था (कृपया धारा II.3 मूल्य स्थिति देखें)।

X.71 रिजर्व बैंक ने 14 मार्च, 2024 को भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के साथ सूचना के निर्बाध साझाकरण के साथ जलवायु और मौसम सेवाओं पर अधिक सहयोग के लिए और विशेष रूप से कृषि वस्तुओं के उत्पादन और कीमतों के लिए विश्लेषणात्मक और पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह कदम चरम घटनाओं और उनके प्रभाव विश्लेषण की संयुक्त समझ को बेहतर करने के लिए दोनों संस्थानों के अवलोकन के साथ-साथ अनुसंधान क्षमताओं को एक साथ लाएगा, और दूरदेशी ज्ञान आधार के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पारस्परिक हित से संबन्धित भविष्यकालीन क्षेत्रों का पता लगाएगा।

2024-25 के लिए कार्यसूची

X.72 विभाग 2024-25 के दौरान निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- मेटाडेटा-आधारित डेटा एक्सेस और विज़ुअल एनालिटिक्स के लिए मानक डेटा क्वेरी इंजन (डीक्यूई) विकसित करना और उसका कार्यान्वयन;
- प्रमुख विनियमित संस्थाओं द्वारा सांख्यिकीय डेटा और मेटाडेटा ईएक्सचेंज (एसडीएमएक्स) मानक डेटा रिपोर्टिंग, जिसमें 90 प्रतिशत बैंकिंग व्यवसाय शामिल होगा (उत्कर्ष 2.0);
- भारतीय अर्थव्यवस्था डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल की सार्वजनिक पहुंच के लिए मोबाइल आधारित एप्लिकेशन;
- प्रमुख कंपनियों के घरेलू/विदेशी उधार और वित्तीय खातों की लिंकेज के लिए ढांचे का विकास (उत्कर्ष 2.0);
- गैर-पारंपरिक डेटा का उपयोग करके आर्थिक गतिविधि के उच्च-आवृत्ति संकेतकों को विकसित करना, जिसमें उपग्रह इमेजरी डेटा जैसे नॉन-टेक्स्ट डेटा शामिल हैं (उत्कर्ष 2.0); और
- वैश्विक डेटा गुणवत्ता मूल्यांकन ढांचे को लागू करके रिजर्व बैंक के डेटा गवर्नेंस ढांचे (डीजीएफ) को परिष्कृत करना (उत्कर्ष 2.0)।

8. विधिक मुद्दे

X.73 विधि विभाग की स्थापना रिजर्व बैंक की ओर से विधिक मुद्दों की जांच और सलाह देने तथा मुकदमेबाजी के प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है। यह विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी के सचिवालय के रूप में कार्य करता है और केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष मामलों की सुनवाई में रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व करता है। विभाग निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी

निगम (डीआईसीजीसी), कैफरेल¹¹ और आरबीआई के स्वामित्व वाली अन्य संस्थाओं को विधिक मुद्दों, मुकदमों और अदालती मामलों पर कानूनी सहायता और परामर्श देता है।

2023-24 के लिए कार्यसूची

X.74 विभाग ने 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे

- निम्नलिखित के लिए केस मैनेजमेंट सिस्टम (सीएएमएस) को सीएएमएस 2.0 में अपग्रेड करना; (क) वास्तविक समय मामले की स्थिति के लिए बाहरी न्यायिक वेबसाइटों के साथ एकीकरण; (ख) इंटरनेट पर सीएएमएस तक पहुंच, जिससे 'कहीं से भी काम' की सुविधा प्राप्त हो सकेगी (उत्कर्ष 2.0) [पैराग्राफ X.75];
- रिजर्व बैंक के आंतरिक उपयोग के लिए विधि विभाग मैनुअल का मसौदा तैयार करना और प्रकाशित करना (उत्कर्ष 2.0) [पैराग्राफ X.75]; और
- उपलब्ध/मौजूदा विधिक अभिलेखों का डिजिटलीकरण और उपयोगकर्ताओं तक उनकी पहुँच उपलब्ध कराना [पैराग्राफ X.75]।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.75 सीएएमएस – जो रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (आरईबीआईटी) द्वारा विकसित विधि विभाग का वर्कफ़्लो ऑटोमेशन प्रोसेस एप्लीकेशन है - के सभी मॉड्यूलों को परिनियोजित किया गया है। विधि विभाग के मैनुअल से संबंधित कार्य अंतिम चरण में है और जल्द ही उसे प्रकाशित किया जाएगा।

अन्य गतिविधियाँ

X.76 वर्ष के दौरान, वित्तीय क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण कानून/विनियम लाए/संशोधित किए गए:

- *डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 का अधिनियमन*: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण

अधिनियम, 2023 को 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। इस अधिनियम में, इसकी प्रस्तावना के अनुसार, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा प्रसंस्करण के संबंध में किया गया प्रावधान व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए ऐसे व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता, दोनों को मान्यता देता है। यह अधिनियम उस तारीख या विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तारीखों को प्रभावी होगा जैसा कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करे;

- *जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 का अधिनियमन*: *जन विश्वास* (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023, जीवन यापन और व्यवसाय करने में सुलभता के लिए विश्वास-आधारित अभिशासन को बेहतर बनाने के लिए अपराधों को गैर-आपराधिक और तर्कसंगत बनाने के लिए कुछ अधिनियमों में संशोधन करता है, को 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। अधिनियम निम्नलिखित कानूनों के कुछ प्रावधानों में संशोधन करता है जो रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित हैं या जो रिजर्व बैंक के कार्यों से संबंधित हैं: (i) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006; (ii) उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम, 1978; (iii) लोक ऋण अधिनियम, 1944; (iv) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961; (v) फ़ैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011; (vi) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981; (vii) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987; (viii) भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007; और (ix) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002। यह अधिनियम

¹¹ उच्च स्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केंद्र।

उस तारीख या विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तारीखों को प्रभावी होगा जैसा कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करे; और

- *बहुराज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 में संशोधन*: बहुराज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 में संशोधन किया गया। संशोधन का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, मौजूदा कानून में पूरक जोड़ते हुए और सत्तानवें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को शामिल करके बहु-राज्य सहकारी सोसायटियों में अभिशासन को मजबूत करना और पारदर्शिता बढ़ाना है। अधिनियम की धारा 120बी में एक परंतुक जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि बैंकिंग व्यवसाय करने वाली बहु-राज्य सहकारी सोसायटी के मामले में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधान भी लागू होंगे।

2024-25 के लिए कार्यसूची

X. 77 2024-25 में विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- VIDHICaMS पर अपलोड करने के लिए विभाग की न्यायालयीन मामलों की फाइलों का डिजिटलीकरण और मामलों की स्थिति का अद्यतनीकरण (उत्कर्ष 2.0);
- विनियमन प्रारूपण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना; और

- रिज़र्व बैंक के सांविधिक विनियमों में सामंजस्य स्थापित करना।

9. निष्कर्ष

X.78 रिज़र्व बैंक ने नीति कार्यान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपनी नीतिगत कार्रवाइयों में जनता के विश्वास को बनाए रखने और मजबूत करने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों को शामिल करते हुए संचार के कई माध्यमों का प्रयोग किया। अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ नियमित रूप से संपर्क रखते हुए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय संबंध और बढ़ाया गया। रिज़र्व बैंक ने जी-20 और भारत की जी-20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसके परिणामस्वरूप 'लीडर्स समिट डिक्लरेशन' को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। सभी संबंधित हितधारकों को क्रमिक रूप से जोड़ते (ऑनबोर्डिंग) हुए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए निधियों के वास्तविक समय आधार पर अंतरण हेतु एक एकीकृत ढांचा तैयार किया गया। विदेशी मुद्रा भंडार, जो विनिमय दर की अस्थिरता के प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है, उसे विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधित किया गया। सामयिक और उभरते समष्टि आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर अध्ययन आयोजित करते हुए आर्थिक अनुसंधान गतिविधियों को जारी रखते हुए उन्हें अधिक असरदार बनाया गया। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ डेटा वेयरहाउस को उन्नत करके सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन प्रणाली को और मजबूत बनाया गया। मौजूदा विनियमों में आवश्यक संशोधन करते हुए वित्तीय क्षेत्र के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा भी सुनिश्चित किया गया।